जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 27.06.2021

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद।

आज दिनांक 27.06.2021 पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 02 अभियुक्तों को 500 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मौ0 सनव्वर उर्फ मुन्ना पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला गुलशन नगर थाना कोतवाली जनपद शामली।
2. अमन पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध चरस 500 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।
2. का0 मोहित थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर जानलेवा हमले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.06.2021 को श्री इस्तकार उर्फ दिल्ला पुत्र श्री मुस्तकीम निवासी ग्राम निर्वना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा ग्राम रामडा में अपनी उधार दी हुई नकदी लेने हेतु आने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करने, जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किये जाने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त 04 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शोएब पुत्र कय्यूम खां निवासी मौहल्ला अफगानान थाना कैराना जनपद शामली।

2- शादाब पुत्र याकूब निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सचिन थाना कैराना जनपद शामली।

2- का0 संजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3- का0 नीरज थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 3 तलाक के मामले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 05.06.2021 को वादिया सकीला द्वारा उसकी पुत्री के पति द्वारा वादिया की पुत्री को 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शाहनवाज पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला खुशहाल नगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
2. का0 मोनू चौधरी थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी</u>

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बन्तीखेडा में जान से मारने की नीयत से फायर करने एवं थाना शाहपुर जनपद मु0नगर का टॉप-10,हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद</u>।

आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित, टॉप-10, हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बन्तीखेडा में जान से मारने की नीयत से फायर करने एवं थाना शाहपुर जनपद मु0नगर का टॉप-10, हिस्ट्रीशीटर अक्षय उर्फ मोन्टी को अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.06.2021 को वादी श्री प्रमोद पुत्र भोपाल निवासी ग्राम बन्तीखेडा थाना बाबरी द्वारा वादी पर हुए जानलेवा फायर के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष बाबरी को आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अक्षय उर्फ मोन्टी पुत्र यशपाल निवासी सौरम उर्फ शौरा थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1. मु0अ0स0 566/12 धारा 392/120बी/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
2. मु0अ0स0 31/13 धारा 379/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
3. मु0अ0स0 32/13 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।

4- मु0अ0स0 580/15 धारा 392/120बी/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
5- मु0अ0स0 783/15 धारा 392/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
6- मु0अ0स0 02/16 धारा 307/414 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
7- मु0अ0स0 03/16 धारा 392/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
8- मु0अ0स0 04/16 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
9- मु0अ0स0 128/16 धारा 2/3 गैंग0 अधि0 थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
10- मु0अ0स0 304/17 धारा 392/411 भादंवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
11- मु0अ0सं0 155/17 धारा 392/411 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
12-मु0अ0स0 318/17 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना शाहपुर जनपद मु0नगर
13-मु0अ0सं0 502/17 धारा 392/411 भादवि0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
14- मु0अ0स0 1053/17 धारा 2/3 गैंग अधि0 थाना कोतवाली शामली शामली।
15- मु0अ0स0 65/20 धारा 354बी/504/506 भादंवि 3(1)12 एससी/एसटी एक्ट थाना शाहपुर मु0नगर।
16- मु0अ0स0 286/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना शाहपुर मु0नगर।
17- मु0अ0स0 531/20 धारा 323/504/506 भादंवि 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना कौशाम्बी गाजियाबाद।
18- मु0अ0सं0 58/21 धारा 307/34 भादंवि थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री नेमचन्द सिंह थाना बाबरी जनपद शामली
2. उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना बाबरी जनपद शामली।

3. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
4. है0का0 मोतीलाल थाना बाबरी जनपद शामली।
5. का0 गौरव राठी थाना बाबरी जनपद शामली।
6- का0 मोनू नागर थाना बाबरी जनपद शामली

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा पिकअप में 04 प्रतिबंधित पशु को भरकर ले जाते 02 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कटान करने के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे पशु क्रूरता की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थाना थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक पिकअप नं0 UP-19T-6934 से तिरपाल से ढककर 04 प्रतिबंधित पशु को ले जाते हुए 02 तस्कर को कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- नईम पुत्र कासिम निवासी ग्राम टपराना थाना झिझाना जनपद शामली ।

2. हाशिम पुत्र अशलम निवासी मौहल्ला रहमत नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- 04 प्रतिबंधित पशु ।

2- एक पिकअप नं0 UP-19T-6934

3- पशु कटान करने के उपकरण (दाव, छुरी, कुल्हाडी, लकडी का गुटका, रस्सी आदि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री बंटी सिंह नागर थाना थानाभवन जनपद शामली।

2- हे0का0 परवेन्द्र थाना थानाभवन जनपद शामली।

3- का0 अनुज थाना थानाभवन जनपद शामली।

4- का अमित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची व 05 लीटर रेक्टीफाइड शराब बरामदः-

आज दिनांक 27.06.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त शौकीन पुत्र महमूद निवासी मौहल्ला जामामस्जिद थाना कांधला जनपद शामली को 05 लीटर अवैध कच्ची व 05 लीटर रेक्टीफाइड शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।